

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं०-61/2019-20

United Bank of India, Chas Bazar Branch, Bokaro

बनाम्

M/S ARYA ENTERPRISES

—: आदेश :-

20.02.2021

प्राधिकृत पदाधिकारी, United Bank of India, Chas Bazar Branch, Bokaro के द्वारा धारा-14 (1 and 2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 के अन्तर्गत विपक्षी M/s Arya Enterprises प्रो० विनोद प्रकाश आर्या पिता वेद प्रकाश, सा०-वंशीडीह, तारानगर, चास, बोकारो के विरुद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दाखिल किया गया है।

फलस्वरूप उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ करते हुए उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष United Bank of India, Chas Bazar Branch, Bokaro की ओर से प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा दाखिल आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (Equitable Mortgage of Land/Building bearing Deed No. 5923 dated 20.05.2010, Khata No.-267, Plot No.-3355, 3353 Area-04 decimals in the name of Smt. Sharda Devi w/o Ved Prakash At Bansidih, Taranagar Chas) को गिरवी रखते हुए बैंक से रुपये 14,50,000.00 (चौदह लाख पच्चास हजार) ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है, जिसके कारण ऋणकर्ता का खाता दिनांक-31.03.2018 को ही एन०पी०ए० हो गया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजूद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया है। फलस्वरूप SARFAESI ACT-2002 की धारा-14 (1 and 2) के तहत प्रथम पक्ष के द्वारा विपक्षी के बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति व्यवस्था भंग नहीं हो इस हेतु दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल की माँग की गई है।

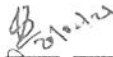
द्वितीय पक्ष पिछले कई तिथियों से सुनवाई के दौरान लगातार अनुपस्थित है। उनके द्वारा अब तक अपने बचाव में किसी भी प्रकार का कारण-पृच्छा भी दाखिल नहीं किया गया है।

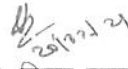
प्रथम पक्ष के आवेदन एवं अभिलेख में संधारित अन्य कागजातों के अध्ययन से स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा ऋण की राशि वापस करने के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी। विपक्षी का लगातार अनुपस्थित रहना तथा अपने बचाव में किसी भी तरह का कारण-पृच्छा दाखिल नहीं किया जाना उनके ऋण न चुकाने की मंशा को दर्शाता है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, United Bank of India, Chas Bazar Branch, Bokaro द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।


उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।


उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।